



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-21032025-261820
CG-MH-E-21032025-261820

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 185]
No. 185]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 20, 2025/फाल्गुन 29, 1946
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 20, 2025/PHALGUNA 29, 1946

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 20 मार्च, 2025

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(साख निर्धारण एजेंसियाँ) (संशोधन) विनियम, 2025

फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/236.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 के साथ पठित धारा 30 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) विनियम, 1999 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (संशोधन) विनियम, 2025 कहा जा सकेगा।
- ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) विनियम, 1999 में, अध्याय-II के बाद और अध्याय-III से पहले, निम्नलिखित नया अध्याय जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“अध्याय - IIक

“हुए नफा-नुकसान और रहे जोखिम की पुष्टि करने वाली एजेंसी”

(पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी)

पात्र क्रेडिट रेटिंग (साख निर्धारण) एजेंसी को “हुए नफा-नुकसान और रहे जोखिम की पुष्टि करने वाली एजेंसी” (पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी) के रूप में मान्यता प्रदान करना

12क. (1) इन विनियमों में दी हुई किसी भी बात के होते हुए भी, “हुए नफा-नुकसान और रहे जोखिम की पुष्टि करने वाली एजेंसी” (पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी) का कार्य {जिसका जिक्र भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 [सेबी (इंटरमीडियरीज़) रेग्यूलेशन्स, 2008] के विनियम 16ड में किया गया है} किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा, बोर्ड से मंजूरी लेकर, बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित शर्तों आदि के अनुसार किया जा सकेगा।

(2) “हुए नफा-नुकसान और रहे जोखिम की पुष्टि करने वाली एजेंसी” (पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी) डाटा सेंटर (“हुए नफा-नुकसान और रहे जोखिम की पुष्टि करने वाली एजेंसी” हेतु गठित) के तौर पर मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की सेवाएँ बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित शर्तों आदि के अनुसार ले सकेगी।”

बबीता रायडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./1046/2024-25]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) विनियम, 1999 भारत के राजपत्र में प्रकाशित तारीख 7 जुलाई 1999 के का.आ. सं. 547(अ) के तहत जारी हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) विनियम, 1999 तत्पश्चात्-
 - क. 28 मार्च 2000 को का.आ. सं. 278(अ) द्वारा राजपत्र में प्रकाशित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) विनियम, 2000 द्वारा
 - ख. 29 मई 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 476(अ), द्वारा
 - ग. 27 सितम्बर 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, का.आ. सं. 1045(अ), द्वारा
 - घ. 19 फरवरी 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (संशोधन) विनियम, 2003, का.आ. सं. 203(अ), द्वारा
 - ङ. 1 अक्तूबर 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2003, का.आ. सं. 1160(अ), द्वारा
 - च. 10 मार्च 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004, का.आ. सं. 398(अ), द्वारा

- छ. 7 सितम्बर 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (संशोधन) विनियम, 2006, का.आ. सं. 1454(अ), द्वारा
- ज. 26 मई 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008, सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2008/11/126538, द्वारा
- झ. 19 मार्च 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (संशोधन) विनियम, 2010, अधिसूचना सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2009-2010/30/199044, द्वारा
- ञ. 13 अप्रैल 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [कुछ मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2011-12/03/12650, द्वारा
- ट. 5 जुलाई 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2011-12/10/21232, द्वारा
- ठ. 27 दिसम्बर 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/31/39022, द्वारा
- ड. 23 मई 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा
- ढ. 8 दिसम्बर 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [कुछ मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/023, द्वारा
- ण. 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037 (तारीख 29 मार्च, 2017 की अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/038 के साथ पठित), द्वारा
- त. 30 मई 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018-15, द्वारा
- थ. 11 सितम्बर 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/36, द्वारा
- द. 23 सितम्बर, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/34, द्वारा
- ध. 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/10, द्वारा
- न. 5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/23, द्वारा

- प. 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/29, द्वारा
- फ. 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा
- ब. 24 जनवरी, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ/जी.एन./2022/69, द्वारा
- भ. 17 जनवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के नियंत्रण में परिवर्तन]] (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/115, द्वारा
- म. 3 जुलाई, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/136, द्वारा
- य. 4 जुलाई, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विवाद सुलझाने की वैकल्पिक व्यवस्था) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/137, द्वारा
- कक. 8 जुलाई, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/191, द्वारा
- कख. 11 नवम्बर, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (दस्तावेजों को प्रमाणित करना) (संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/212, द्वारा

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 20th March, 2025

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (CREDIT RATING AGENCIES) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2025

F. No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/236.—In exercise of the powers conferred under section 30 read with sections 11 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999, namely:—

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Amendment) Regulations, 2025.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999, after Chapter II and before Chapter III, the following new chapter shall be inserted, namely, —

“CHAPTER IIA**PAST RISK AND RETURN VERIFICATION AGENCY****Recognition of an eligible credit rating agency as a Past Risk and Return Verification Agency**

12A. (1) Notwithstanding anything contained in these regulations, the activity of a Past Risk and Return Verification Agency as referred to in Regulation 16E of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008, may be carried out by a credit rating agency, with the approval of the Board, on such terms and conditions as may be specified by the Board.

(2) The Past Risk and Return Verification Agency shall engage a recognised stock exchange as a Past Risk and Return Verification Agency Data Centre on such terms and conditions as may be specified by the Board.”

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Ext./1046/2024-25]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999 were issued under S.O. No. 547 (E) dated July 7, 1999 published in the Gazette of India.
2. The Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999 were subsequently amended on—
 - a. March 28, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Appeal to Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Regulations, 2000 published in Official Gazette vide S.O. No. 278(E).
 - b. May 29, 2001, by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) (Regulations), 2001 vide S.O. No. 476 (E).
 - c. September 27, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 vide No. S.O. No.1045 (E).
 - d. February 19, 2003 by the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Amendment) Regulations, 2003 vide S.O. No. 203 (E).
 - e. October 1, 2003 by the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Second Amendment) Regulations, 2003 vide S.O. No. 1160 (E).
 - f. March 10, 2004 by Securities and Exchange Board of India (Criteria for Fit and Proper Person) Regulations, 2004 vide S. O. No. 398 (E).
 - g. September 7, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Amendment) Regulations, 2006 vide S. O. No. 1454(E).
 - h. May 26, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008 vide no. LAD/ NRO/GN/2008/11/126538.
 - i. March 19, 2010 by the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Amendment) Regulations, 2010 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2009-2010/30/199044.
 - j. April 13, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Change in Conditions of Registration of Certain Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2011 vide Notification No. LAD/ NRO/ GN/ 2011-12/03/12650.
 - k. July 5, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Amendment) Regulations, 2011 vide Notification No. LAD/NRO/GN/2011-12/10/21232.
 - l. December 27, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Second Amendment) Regulations, 2011 vide Notification No. LAD/NRO/GN/2011-12/31/39022.
 - m. May 23, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2014 vide notification no. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089.
 - n. December 8, 2016 by the Securities and Exchange Board of India (Change in Conditions of Registration of Certain Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2016 vide Notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/023.

- o. March 6, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification no. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/037 read with notification no. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/38 dated March 29, 2017.
- p. May 30, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Amendment) Regulations, 2018 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018-15.
- q. September 11, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Second Amendment) Regulations, 2018 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/36.
- r. September 23, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Amendment) Regulations, 2019 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/34.
- s. April 17, 2020 by the by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
- t. May 5, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2021 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/23.
- u. August 3, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Amendment) Regulations, 2021 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/29.
- v. August 3, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.
- w. January 24, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Amendment) Regulations, 2022, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/69.
- x. January 17, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Change in Control in Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2023, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/115.
- y. July 3, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Amendment) Regulations, 2023, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/136.
- z. July 4, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Dispute Resolution Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD–NRO/GN/2023/137.
- aa. July 8, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Amendment) Regulations, 2024, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/191.
- ab. November 11, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Attestation of Documents) (Amendment) Regulations, 2024, vide no. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/212.